न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सिवाना

पीठासीन अधिकारी श्रीमति कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :– ...40... / 2022

प्रार्थीनी :– देशा कंवर पुत्री अर्जुनसिह जाति राजपुरोहित निवासी थापन तहसील सिवाना जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थी :– राजस्थान सरकार जरिये भुमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. **श्री किशोरीलाल सोनी अधिवक्ता प्रार्थी**

–: : आदेश : :–

दिनांकः– 08.06.22

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीनी की संयुक्त खातेदारी कृषि भुमि सरहद मौजा ग्राम थापन पटवार हल्का थापन में खसरा संख्या 413 का रकबा 00.8984 हैक्टयर किस्म रेतली व खसरा संख्या 403 का रकबा 02.2015 हैक्टर किस्म रेतली की भुमि आई हुई है प्रार्थीनी का नाम उनके पिता अर्जुनसिह का देहान्त होने के बाद जरिये विरासत का फौतदगी का म्युटेशन भरा गया तब राजस्व अधिकारियो द्वारा सहवन से देशादेवी पुत्री अर्जुनसिह कौम पुरोहित अंकित कर दिया गया जबकि प्रार्थीनी का वास्तविक नाम देशा कंवर पुत्री अर्जुनसिह है खातेदारी कृषि भुमि में गलत इन्द्राज होने से कई परेशानियो का सामना करना पडता है। प्रार्थीनी समस्त राजकीय दस्तावेज यथा आधार कार्ड ,वोटरकार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक खाता, दस्तावेजात इत्यादि में प्रार्थीनी का नाम देशा कंवर दर्ज है। अतः उक्त त्रुटि को दुरूस्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र न्यायालय श्री में पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को नोटिस जारी किये गयैं हमने प्रार्थीनी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी। प्रार्थीनी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये प्राथीर्नी का नाम राजकीय दस्तावेजात के आधार पर देशादेवी पुत्री अर्जुनसिह के स्थान पर देशा कवंर पुत्री अर्जुनसिह किये जाने हेतु निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.10.08 14:27:22 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली व प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात का गहराई से अवलोकन किया। प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत राजकीय दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, वोटरकार्ड, भामाशाह कार्ड , बैंक खाता दस्तावेजात इत्यादि में प्रार्थीनी का नाम देशा कंवर अंकित है। अतः राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत राजकीय दस्तावेजात स्कूल दस्तावेज के आधार पर प्रार्थीनी का नाम देशादेवी पुत्री अर्जुनसिह के स्थान पर देशा कंवर पुत्री अर्जुनसिह किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

अतः प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य होने से स्वीकार किया जाकर प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि सरहद मौजा थापन पटवार हल्का थापन के खसरा संख्या 413 का रकबा 00.8984 हैक्टयर किस्म रेतली व खसरा संख्या 403 का रकबा 02.2015 हैक्टर किस्म रेतली भूमि में अंकित अशुद्ध नाम देशादेवी पुत्री अर्जुनसिह के स्थान पर **"देशाकंवर पुत्री अर्जुनसिह"** शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना आदेश की पालना एक माह में कर पालना रिपोर्ट भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

आदेश आज दिनांक 08.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सिवाना

उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.10.08 14:27:22 IST
Reason: SelfAttested